क्रम संख्या–179 पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 16 अक्टूबर, 2018 ई0
आश्विन 24, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 351/XXXVI(3)/2018/68(1)/2018
देहरादून, 16 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदया ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018'** पर दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 31, वर्ष– 2018** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 31, वर्ष, 2018)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 है।

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में:–

(क) खंड (4) में ''अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण" शब्दों के स्थान पर, ''धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे।

(ख) खंड (16) में "केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, ''केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड" शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

''(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवायें या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और''

(घ) खण्ड (18) का लोप किया जायेगा।

(ङ) खंड (35) में, ''खंड (ग)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर ''खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जायेगा;

(च) खंड (69) में, उपखंड (च) में ''अनुच्छेद 371'' शब्द और अंक के पश्चात् ''और अनुच्छेद 371 ज'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे;

(छ) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"स्पष्टीकरण– शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ''सेवा'' पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है;"

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) खंड (ख) में, "चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं" शब्दों के पश्चात् "और" शब्द अंतःस्थापित किया जायेगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जायेगा।

(ii) खण्ड (ग) में, "कियाकलाप" शब्द के पश्चात्, "और" शब्द का लोप किया जायेगा और सदैव लोप किया गया समझा जायेगा।

(iii) खंड (घ) का लोप किया जायेगा और सदैव लोप किया गया समझा जायेगा।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अन्तःस्थापित की गई समझी जायेगी, अर्थातः–

"(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति है, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।"

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात् –

"(4) सरकार परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संम्बन्ध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानो वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।"

धारा 10 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(i) "उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर" शब्दों के स्थान पर, "धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) परन्तुक में, "एक करोड़ रूपये" शब्दों के स्थान पर, "एक करोड़ पचास लाख रूपये" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्–

"परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, राज्य में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न)या पांच लाख रूपये, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।"

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्–

"**(क)** उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है।"

धारा 12 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "की उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठक और अंक का लोप किया जायेगा।

धारा 13 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले "की उपधारा (2) " शब्दों, कोष्ठक और अंक का लोप किया जायेगा।

धारा 16 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, –

(क) खण्ड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्–

"**स्पष्टीकरण**– इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिति, माल या सेवा को प्राप्त किया है–

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के हक की दस्तावेजों के अन्तरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबन्ध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसकी ओर से किया जाता है।"

(ख) खंड (ग) में, " धारा 41" शब्द और अंक के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43 क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(क) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जायेगा; अर्थात्–

"**स्पष्टीकरण**– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट–प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।"

(ख) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जायेंगे; अर्थात् :–

"(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(अ) ऐसे मोटरयानों की अग्रेत्तर पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग–

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :–

(अ) ऐसे जलयानों और वायुयानों की अग्रेत्तर पूर्ति ; या

(आ) यात्रियों का परिवहन ; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ; या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(ii) माल के परिवहन के लिए ;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है:

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा —

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये किया जाता है ;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो–

(I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है, या

(II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के सम्बन्ध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है ;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति–

(i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान को पट्टे पर, किराये पर या भाड़े पर लेना सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवा या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति

का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता ; और

(iii) प्रावकाश में कर्मचारियों पर विस्तारित यात्रा लाभ जैसे कि छुट्टी या गृह यात्रा रियायत :

परन्तु यह कि ऐसे माल या सेवा या दोनों के सम्बन्ध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो।''

धारा 20 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, ''प्रविष्टि 84'' शब्दों और अंक के स्थान पर, ''प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी; अर्थात्:–

'''(1) राज्य में माल या सेवाओं या दोनों के कराधेय पूर्ति को करने वाला प्रत्येक पूर्तिकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपये से अधिक है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों की कराधेय पूर्ति करता है, वहां वह रजिस्ट्रीकृत किये जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपये से अधिक है;

परन्तु यह और कि जहां ऐसा व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों की कराधेय पूर्ति विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य, जिसके सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले परन्तुक में सन्दर्भित संकलित आवर्त को बढ़ाया गया है, से करते हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा यदि उसका किसी वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त ऐसे बढ़ाये गये आवर्त की समतुल्य धनराशि से अधिक होगा।''

(ख) स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात्:–

"(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखण्ड राज्य को छोड़कर संविधान के अनुच्छेद 279क के खण्ड (4) के उपखण्ड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत है।''

धारा 24 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (x) में, ''वाणिज्य ऑपरेटर'' शब्दों के पश्चात् ''जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है'' शब्द और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,–

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।"

(ख) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा; अर्थात्:–

"परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास राज्य में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।"

धारा 29 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,–

(क) पार्श्व शीर्ष में, "रद्दकरण" शब्द के पश्चात् "या निलंबन" शब्द अंतःस्थापित किये जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के सम्बन्ध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।"

(ग) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, उचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।"

धारा 34 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में, –

(क) उपधारा (1) में, –

(i) "कोई कर बीजक जारी किया गया है" शब्दों के स्थान पर "एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं" शब्द रखे जाऐंगे;

(ii) "जमा पत्र" शब्दों के स्थान पर "किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र" शब्द रखे जाऐंगे;

(ख) उपधारा (3) में, –

(i) "कोई कर बीजक जारी किया गया है" शब्दों के स्थान पर "एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं" शब्द रखे जाऐंगे;

(ii) "नामे पत्र" शब्दों के स्थान पर "किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन

16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन हैं।"

धारा 39 का संशोधन

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, –

(क) उपधारा (1) में, –

(i) "ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए" शब्द रखे जाऐंगे;

(ii) "ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन से पूर्व" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।"

(ख) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

" परंतु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षापायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।"

(ग) उपधारा (9) में, –

(i) "उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में ''वित्तीय वर्ष की समाप्ति'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, की समाप्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 43क का अंतःस्थापन

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थात् :–

''**43क. विवरणी प्रस्तुत करने और इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के लिए प्रक्रिया**–

(1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियों में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा, –

(i) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ii) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है,

वह होगी, जो विहित की जाए।"

धारा 48 का संशोधन

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, "प्रस्तुत करने के लिए" शब्दों के पश्चात् "और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में, –

(क) उपधारा (2) में, "धारा 41" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 41 या धारा 43क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) में, –

(i) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"परंतु राज्य कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;"

(ii) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"परंतु संघ राज्य क्षेत्र कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है।"

नई धारा 49क और 49ख का अंतःस्थापन

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :–

"**49क. कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग–** धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ख. इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग का आदेश– इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ङ) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्य क्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।"

धारा 52 का संशोधन

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, "धारा 37" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 37 और धारा 39" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 54 का संशोधन

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में, –

(क) उपधारा (8) के खंड (क) में "शून्य दर मालों या सेवाओं या दोनों" तथा "ऐसी शून्य दर प्रदायों" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "मालों या सेवाओं या दोनों के निर्यात" और "ऐसे निर्यातों" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, –

(i) उपखंड (ग) की मद (i) में, "विदेशी मुद्रा में" शब्दों के पश्चात् "या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपखंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

"(ङ) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख।"

धारा 79 का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :–

"**स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट "सुभिन्न व्यक्ति" सम्मिलित होंगे।"

धारा 107 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थातः–

"उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गयी है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि, जो कि अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए तक हो सकती है, का संदाय नहीं किया हो।"

धारा 112 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थातः–

"धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त उक्त आदेश से उत्पन्न, जिसके संबंध में अपील दाखिल की गयी है, में विवादित कर की शेष रकम के बीस प्रतिशत के बराबर राशि, जो कि अधिकतम पचास करोड़ रूपए तक हो सकती है।"

धारा 129 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में, "सात दिन" शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आए हैं, के स्थान पर, "चौदह दिन" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन

28 मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात–

"परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष

की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।"

अनुसूची 1 का संशोधन

29 मूल अधिनियम की अनुसूची 1 के प्रस्तर 4 में, "कराधेय व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द रखा जाएगा।

अनुसूची 2 का संशोधन

30 मूल अधिनियम की अनुसूची 2 के शीर्षक में, "क्रियाकलापों" शब्द के पश्चात् "या संव्यवहार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गये समझे जाएंगे।

अनुसूची 3 का संशोधन

31 मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,–

(i) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रस्तर अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात–

"7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल का भारत में प्रवेश किए बिना, पूर्ति।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति।

(ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने से पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।"

(ii) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्–

"स्पष्टीकरण 2– इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "भांडागार में रखे गए माल" पद का वही अर्थ होगा, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है।"

1962 का 52

आज्ञा से,

आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 351/XXXVI(3)/2018/68(1)/2018
Dated Dehradun, October 16, 2018

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2018'** (Adhiniyam Sankhya: **31** of **2018**).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented by the Governor on 11 October, 2018.

कारण एवं उद्देश्य का कथन

"उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" के अन्तर्गत छोटे तथा मध्यम इकाईयों के लिए माल और सेवा कर विधि के अधीन कर का भुगतान किये जाने एवं विवरणी दाखिल करने में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2. जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुतियों के कम में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से उक्तानुसार "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" में संशोधन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रस्तावित विधेयक उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।